

writing to-day ? Shall we say things like this ?

(Interruptions)

MR. SPEAKER : I have got nothing to do with this. Mr. Shailani... I have allowed Mr. Shailani.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया है कि 17 तारीख को हाथरस में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह तो वहां की प्रॉब्लम है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : वहां एस०डी० ओ० ने, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 100 से ज्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर टेंशन बढ़ रही है और यह बहुत इम्पोर्टेंट मामला है।

MR. SPEAKER : It is a problem there.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मैंने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया था और उसको नामंजूर कर दिया।... (व्यवधान) ... एक फौजी अफसर को मार दिया गया है। इसके लिए दो शब्द कहने चाहिए थे। जब डी०आई०जी० को मारा गया था, तो सारे हाऊस में आग लग गई थी।... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

PROF. K.K. TEWARY : About his visit to Pakistan Mr. Patnaik should take the House into confidence. He should clarify his position. Why don't you do it ?

(Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRA-BORTY : **

MR. SPEAKER : Not allowed.

Calling Attention—Shri Pitambar Sinha.

12.25 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported engagement of Scheduled Castes children as bonded labour and brutal treatment meted out to them with particular reference to recent happenings in the carpet manufacturing units of Mirzapur District of Uttar Pradesh.

SHRI PITAMBAR SINHA (Bettiah) : I call the attention of the Minister of Labour and Rehabilitation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

“The reported engagement of Scheduled Castes children as bonded labour in the country and brutal treatment meted out to them with particular reference to the recent happenings in the carpet manufacturing units of Mirzapur District of Uttar Pradesh.”

SHRI SATYASADHAN CHAKRA-BORTY : **

MR. SPEAKER : I have not allowed.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER : I have not allowed any of them. Not allowed. The aspersion on the Chair will also not go on record.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : The bonded labour system has been abolished by law throughout the country with effect from 25th October, 1975 under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. With effect from this date, all bonded labourers stood freed and discharged from

[Shri Dharmavir]

any obligation to render bonded labour and their debts liquidated. The Act defines 'bonded debt', 'bonded labour', 'bonded labourer' and 'bonded labour system'. Any person, including a child labourer, who fulfils the ingredients of the Bonded Labour System as defined in the Act will come in the category of bonded labourer. Under the Act, identification and release of bonded labour and rehabilitation of freed bonded labourers is the direct responsibility of the State Government concerned. According to the reports received from the State Governments, the total number of bonded labourers identified and freed as on 29.2.1984 was 1,62,637 out of which 1,23,194 have been rehabilitated. The number of child bonded labourers in this number is, however, not available. As and when the complaints relating to existence of bonded labour system in any particular area are received by Government, immediate action is taken by Government to get the matter investigated through the State Government concerned for securing release and rehabilitation of such bonded labourers.

12.26 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

Government have taken note of the reports which have appeared in the press recently about the exploitation of children hailing from Palamau district of Bihar who are being made to work as bonded labourers in the carpet factories in Mirzapur district of Uttar Pradesh. Immediately on receipt of these reports, the Governments of Uttar Pradesh and Bihar were requested to get the matter investigated and take necessary action for releasing these children and restoring them to their parents. The gist of the report received from the District Magistrate, Mirzapur (Uttar Pradesh) is as under :—

On 13.4.1984, four police parties along with Magistrates were sent to nine villages in Mirzapur District for investigating the matter and releasing the children employed in the carpet weaving units. On these dates, 5 children from Village Belwaria could be released from the carpet factory of Shri Panna Lal.

Earlier, on a F.I.R. lodged under Section 363 Indian Penal Code on 27.3.1984 in Police Station Patan in Palamau District, the Bihar Police came to Mirzapur and with the help of the police station Chilh Mirzapur they released and took away 27 children with them to Palamau on 1.4.1984.

Subsequently, as a result of extensive raids conducted by the Magistrates of Mirzapur and by the Inspectors of Labour Department with the help of Police in Village Balua, Purjagir and Belwaria, 114 children ranging between ages 8 to 22 were collected from 22 carpet weavers on 16.4.1984. Nine out of the 114 children so released on 16.4.1984 were more than 18 years of age and 14 of them were above 14 years of age. This leaves 91 children of and below 14 years of age. It was found that all except one child were from the District of Palamau in Bihar and the one exception was from District Mirzapur. After due medical examination and after recording of the statements of these children, both by the Magistrates as well as the officers of the Labour Department, they have been sent back to District Palamau.

From the Statements recorded, instances of violation of Minimum Wages Act, 1948, Employment of Children Act, 1938, Children Act, 1960, Factories Act, 1948 and Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, and certain provisions of I.P.C. like Sections 341 and 374 have come to notice. No case could, however, be made of these children being treated as bonded labourers as per the definition given in the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.

The District Magistrate, Mirzapur has further reported that a team of officers comprising of one Executive Magistrate and one Area Police Officer was deputed to Palamau on 13.4.1984 for an on-the-spot investigation into the follow-up action taken by the District Administration of Palamau, consequent on the repatriation of 27 child labourers from Mirzapur on 1.4.1984. The Executive Magistrate of Mirzapur, who took the Statements of the 19 children and 5 parents in Palamau has reported on his return that 32 children from Chhichhori village of Patan

of District Palamau were taken to Shri Panna Lal, Carpet Weaver of Village Belwaria on 4 occasions by Shri Siva Kumar Thakur and Shri Sudama Thakur of the same Police Station. Most of the children were taken to Belwaria against their wishes on some pretext or other. From the Statements of the children recorded by the Executive Magistrate, it appears that the children were forced to hard and incessant labour under inhuman conditions for 16 to 18 hours a day. From these statements, the District Magistrate of Mirzapur is of the view that this may be construed to be a case of forced confinement but not a case of bondage as according to him there was no element of loan/debt/advance given by the employer to the children or their parents against which the children were required to render their labour/service. Necessary legal and penal action has been initiated against the offenders.

श्री पीताम्बर सिंह (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, सरकार के जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत इन बच्चों के प्रति और अन्य बंधुआ मजदूरों के प्रति बहुत साफ नहीं है। कानून बहुत साफ है। हमारे संविधान की धारा 24 में ऐसे कार्यों को बंधित किया गया है। धारा 23 की उपधारा (1) में कहा गया है कि ऐसे लोगों से काम नहीं लिया जा सकता और यह दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद 1881 से लेकर अब तक दर्जन से अधिक कानून बने हैं। विशेष कर उन राज्यों में जहां पर इस तरह की व्यवस्था को बंद करने की ओर प्रयास किए गए। प्रयास हुए हैं। सरकार की ओर से बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं और जांच की गई है। जांच रिपोर्टें भी आई हैं। लेकिन समस्या के समाधान के प्रति कोई प्रगति मालूम नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिर्जापुर की रिपोर्ट है। उससे ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस समस्या का कोई अहसास ही नहीं है। इतने बड़े अधिकारी को समस्या का अहसास न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में अर्द्ध सामंती अवशेषों के चलने और कृषि के आधार पर जो हमारी पूरी व्यवस्था है, उसके चलते, जोर-जबरदस्ती से किसी से काम कराया जाना कहां तक उचित है। कई जगहों

पर लोग श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सी जगह पर आप उनको बंधुआ नहीं मानते हैं, लेकिन वहां पर भी वही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर कई फैसलों में इस बात की बहुत सफाई की है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजदूरों के संबंध में उन्होंने यह बताया है कि जिस आतंक के वातावरण में रहकर उनसे काम कराया जाता है, वह बंधुओं मजदूरों की ही स्थिति है और वे आजाद नहीं हैं। पलामू, छिछहरी गांव से जो लड़के ले जाए गए थे, उनमें 91 की उम्र 14 साल से कम है। कलैक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 से 18 घण्टे तक वे काम करते थे। आज की परिस्थितियों में यह इल्लिगल कंफाइन्मेंट का मामला बनता है। लेकिन बंधुआ की स्थिति नहीं बनती, ऐसा कलैक्टर की रिपोर्ट में है। ऐसा मालूम होता है कि उस आदमी को जिस मंशा से इस सदन ने 1976 में कानून पास किया था और सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, उसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए, कलैक्टर का कहना है कि इसमें बंधुआ की स्थिति नहीं बनती है। इसी वजह से उसे बंधुओं मजदूरों के लिए जो कानूनी कार्यवाही करनी है, वह केस नहीं बनता है। इसी तरह की अवस्था में सारे देश में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक लाख बासठ हजार आइडेन्टीफाई किए हैं और एक लाख तेइस हजार को पुनः बसाने की व्यवस्था की है। उसमें भी 40 हजार छोड़ दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से जो भी सहायता मिलती है, वह पैसे खर्च न होकर वापिस हो जाते हैं और राज्य सरकारें इस मामले में सीरियस नहीं हैं। मैं, बिहार के पलामू जिले की स्थिति जानता हूं कि किस तरह सात सौ बंधुओं मजदूरों की सूची दी गई। सरकार ने एक सौ को मुक्त किया और बाकी लोगों के बारे में मजिस्ट्रेट या कलैक्टर ने, जिस मंशा से कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू नहीं किया। मिर्जापुर के मामले में भी बंधुआ की स्थिति नहीं बनती है। देश में पूरी स्प्रीट से कानून को लागू नहीं किया जाता है। इसलिए, मेरा कहना है कि मूल रूप से यह समस्या भूमि-

[श्री पीताम्बरसिंह]

हीनता, आजादी का अभाव, दरिद्रता, और रोजी का अभाव होने की वजह से बनी हुई है। इतनी संगीन हालत सारे देश में व्याप्त है लेकिन सरकार को इसका कोई अहसास नहीं है। इसीलिए सरकार कहती है कि एक लाख बासठ हजार को अभी तक आइडेन्टीफाई किया है और एक लाख तेइस हजार को पुनः बसाने की व्यवस्था की है। पुनर्वास के लिए तो छह-छह महीने तक काम चलता रहता है। ऐसी हालत में बंधुआ मजदूरों को रहने, खाने और सहायता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक जजमेंट स्वामी अग्निवेश ने करवाया था और उसके कारण काफी कन्स्ट्रक्शन मजदूरों को मुक्ति मिली थी, जो मध्य प्रदेश में थे। स्वामी अग्निवेश जी उस गांव में गए, उसके अनुमण्डल अधिकारी से मिले, कलैक्टर से मिले और संयोग से उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी भी दिल्ली में थे, उनसे उन्होंने बात की। लेकिन जिन 123 मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मुक्त किया गया था, वे पुनर्वास की शर्तों को पूरा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं माने गए और उन्हें मध्य प्रदेश में जमीन देने में सरकार असमर्थ रही। इतने प्रयासों के बाद, इतने स्तरों पर मिलने के बाद और प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पर्क करने के बाद भी उस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसलिए हमारे देश की जो भयानक सोश्यो-इकानामिक कण्डीशन है, जिसमें काफी संख्या में लोग अर्ध-गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बन्धुआ अवस्था में रह रहे हैं, जिन्हें मुक्त कराने में अब तक सरकार असमर्थ रही है, सरकारी मशीनरी असमर्थ रही है, भूमि सुधार में बुनियादी परिवर्तन के बिना जिस समस्या को हल नहीं किया जा सकता और वह वातावरण तैयार नहीं हो सकता जिसमें इस समस्या का निराकरण किया जा सके, समाधान किया जा सके... (व्यवधान)... इसलिए सरकार बताये कि जिन दो आदमियों का जिक्र रिपोर्ट में

आया है, जो उन बच्चों को फंसा करके ले गए थे, उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट में स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है, उनके बारे में लॉ की क्या भूमिका है और इससे पहले भी जो व्यक्ति दो-चार मर्तबा उसी गांव के 32 लड़कों को मिर्जापुर ले गए और उन्हीं पन्नालाल बेलगढ़िया के कारपेट के कारखाने में रखा और अन्तिम बार भी जो घटना की जांच हुई उसमें भी इन्हीं लोगों पर बच्चे ले जाने का आरोप है, परन्तु रिपोर्ट में उसका सिर्फ जिक्र भर है, जिससे ऐसा लगता है कि उनकी इस अपराध में कोई खास भूमिका नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों की उस अपराध में सरकार के विचार में क्या भूमिका है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है। दूसरे, रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है और मेरे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि बिना पैसा एंडवांस लिए, उन लड़कों को वहां वापस नहीं पहुंचाया गया, इसलिए बौन्डेड लेबर की शर्त इस मामले में स्पष्ट हो जाती है, क्या उन दफाओं के अन्तर्गत सरकार उनके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने का विचार रखती है। क्या यह भी सत्य है कि उन बच्चों को लोहे से दागा गया था, या नहीं।

श्री धर्मवीर : माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य श्री पीताम्बर सिंह जी ने प्रश्नों के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, जिनके बारे में मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समस्त बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में नहीं है। आपने उसमें सिर्फ उन बच्चों का जिक्र किया है जो बन्धुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं...

(व्यवधान)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not replying to you. If everyday I have to teach the rules to the hon. Members, I am very sorry.

Do not record any interruption during the Calling Attention, by Members whose names are not listed.

Shri Mani Ram Bagri, you please sit down. The Hon'ble Member has raised certain points. Should we not do justice to him? You are a very senior member and as a matter of fact you must be my teacher. Unfortunately, I have to teach you.

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था काल अटेंशन मोशन में जिक्र किया गया है—

reported engagement of Scheduled Caste children as bonded labour in the country and brutal treatment meted out to them with particular reference to the recent happenings in the carpet manufacturing units of Mirzapur district of Uttar Pradesh and the action taken by the Government in the matter.

जिस फिगर की आप चर्चा कर रहे थे हमने कितने बंधुआ मजदूरों को अभी तक मुक्त कराया है और कितनों को रीहैबिलिटेड किया है वह फिगर बंधुआ मजदूरों के लिये है, बच्चों के लिये नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास अलग फिगर नहीं है जो बता सकें ; कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं।

जहां तक हरिजन बच्चों का सवाल है इस देश में हरिजनों की पूरी जनसंख्या है, वह 10.60 करोड़ है और उनमें बच्चों की संख्या 1 करोड़ 59 लाख है, लगभग 15 प्रतिशत आते हैं। तो चूंकि उसमें हरिजन बच्चों का जिक्र किया गया है, हालांकि हमारे पास जांच के आधार पर कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस संख्या का आप जिक्र कर रहे थे वह पूरे देश के उन राज्यों के बंधुआ मजदूरों की है जिन्हें मुक्त कराया गया। उनकी फिगर है कि अभी तक कितने लोग किन-किन राज्यों में मुक्त कराये गये और रीहैबिलिटेड किये गये। इसके संदर्भ में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। सारे देश में 11 राज्यों में इस प्रकार के बंधुआ मजदूर विद्यमान पाये गये हैं और उन 11 राज्यों में जो मुक्त कराये गये उनकी टोटल फिगर 1,62,637 है जो आइडेंटिफाई किये गये और 1,23,194 को रीहैबिलिटेड किया गया और बाकी का प्रोसेस चल रहा है।

मैं यह बात स्पष्ट कर दूँ कि इस बारे में राज्य

सरकार इस ऐक्ट को प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है और वहां पर राज्य सरकारें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से सारी कार्यवाही करती हैं और जिला मैजिस्ट्रेट एक कम्पीटेंट अथोरिटी है जो अपनी जांच और सर्वेक्षण के आधार पर निश्चित करता है कि यह बंधुआ मजदूर हैं कि नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और जो हमारा ऐक्ट है वॉडेड लेबर सिस्टम का ; उसका इन्टरप्रिटेशन लोग अपनी भावनाओं के आधार पर करते हैं।

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि देश में ग्रामीण अंचलों में जो भूमिहीन हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है और इस स्थिति से उभारने के लिये ही पिछले वर्ष सालों से लगातार प्रयास हो रहे हैं और विशेष तौर से छठी योजना में, जब पुनः प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आयीं तो इन गरीब और हरिजन वर्गों के उत्थान के लिये विशेष योजना चालू की। इस प्रकार से एक कम्पोनेन्ट प्लान इन्ट्रोड्यूस किया गया और छठी प्लान में इनकी स्थिति को सुधारने के लिये 4483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और इसके लिये भी सेंट्रल एसिस्टेंस करीब 600 करोड़ रुपये अलग से दी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 5083 करोड़ रुपये की व्यवस्था हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिये की गई।

पूरे देश में यह एक प्रशंसनीय कार्य है कि एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के उत्थान के लिये सरकार कितनी जागरूक है। सरकार हर प्रकार से सभी संभव उपाय कर रही है कि इनका आर्थिक शोषण न हो। जितना ये आर्थिक शोषण से ग्रसित नहीं है, उससे ज्यादा सामाजिक शोषण से हैं। आर्थिक शोषण का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों या अधिकारियों पर दिया जा सकता है, लेकिन सामाजिक शोषण के लिये तो समूचे समाज का ही उत्तरदायित्व है। यह प्रथा आज से नहीं कितने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। सदियों से चली आ रही इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिये एक सराहनीय प्रयास 1975 में प्रधान मंत्री

[श्री धर्मवीर]

श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिये, गुलामी से छुड़ाने के लिये इसे एक कानून का रूप दिया गया और 1976 में बन्धुआ लेबर एबोलीशन एक्ट पारित किया गया। इससे हमारी मंशा जाहिर होती है कि हम किस प्रकार से इसके लिये चिन्तित थे और जैसे ही यह एक्ट पारित हुआ, यह मान लिया गया कि देश में कोई बन्धुआ मजदूर नहीं रहेगा। जो-जो बन्धुआ मजदूर खोजे जायेंगे, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट देगी और राज्य सरकारें उन्हें पुनर्वासित करेंगी।

यह एक कन्टीनुअस प्रोसेस है, जो खोज में आते जाते हैं, मिलते जाते हैं, उनको हम रिहैबिलिटेट करते जाते हैं। जैसा मैंने अनुरोध किया कि जब तक समाज का वातावरण नहीं बदलेगा, और इस वातावरण को बदलने के लिये केवल सत्ता पक्ष के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, सभी इसके लिये जिम्मेदार हैं। सभी को इसमें प्रयास करने चाहिये तभी इस दिशा में सराहनीय कार्य किये जा सकते हैं। जिस स्थिति का आप वर्णन करते हैं, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मुझे भी मालूम है कि किस प्रकार से हरिजनों के साथ गांव में या दूरवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता है, मैं उसे अनुभव करता हूँ। लेकिन केवल अनुभव करने से ही काम चलने वाला नहीं है, सरकार पर उत्तरदायित्व डाल देने से काम नहीं चलेगा। समूचे देश को सामाजिक वातावरण बदलने के लिये संकल्पित होना पड़ेगा। जब तक देश में गरीब हरिजन, गिरिजन, ट्राइबल लोगों को समान अधिकार नहीं मिलता तब तक देश की एकता एवं सुरक्षा खतरे में रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सारे राजनीतिक दलों के लोग मिलकर एक वातावरण बनायें ताकि किसी के साथ अमानुषिक व्यवहार न हो।

जहां तक मंशा की बात है, मैं समझता हूँ कि बॉन्डेड लेबर की रीफ़ीनिशन जो एक्ट में है, उसका

अलग-अलग इंटरप्रेशन लोग करते हैं। अगर उसके लिबरल इंटरप्रेशन को ले लेंगे तो इस देश में बहुत लोग करोड़ों की संख्या में बॉन्डेड मिल जायेंगे। वास्तव में जो हमारी मंशा थी, कि जो जन्म-जन्मान्तर से पुश्त-दर-पुश्त गुलामी करते आये हैं, जिनके बाप-दादा ने थोड़ा भी रुपये कर्ज ले रखा है, उस रुपये को अदा करने के हिसाब से उनको गुलाम बनाया गया है, उन सबको गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया जाये। इसलिये यह योजना बनाई गई। बाद में उसका इंटरप्रेशन अपने अपने ढंग से करने का विचार बढ़ता गया। लेकिन हम तो एक्ट में जो प्रावीजन है, उसके लिये बाध्य हैं।

According to the Act, only the District Magistrate has the power to certify whether that particular boy or that particular man is bonded, or not.

जैसे ही प्रमाणित हो जाता है, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिये, रिलीज करने के लिये कार्यवाही की जाती है।

(Interruptions)

आपने दो प्रश्न किये थे, एक तो जिनको बन्धुआ मजदूर बनाया और ले गये, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? मिर्जापुर की जो घटना समाचारपत्रों में आई है, मैं प्रशंसा करने से नहीं हिचकूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने उसके बारे में बहुत तत्परता दिखाई। 11 तारीख को यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और उसी दिन हमारे विभाग की तरफ से बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को टेलीग्राम के द्वारा कहा गया कि इस वारे में तत्काल जांच की जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए। उसी आधार पर जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने वहां जाकर फौरन सर्वेक्षण किया और बाकी बच्चों को मुक्त कराया। समाचारपत्रों में 27 और 5, कुल 32 बच्चों की बात कही गई थी। जिला मैजिस्ट्रेट जागरूक था, उसने छापा मारकर 114 बच्चों को निकाला, उनका मैडिकल एग्जामिनेशन कराके और उनके बयानात लेकर पलामू डिस्ट्रिक्ट

पहुँचा दिया।

जो दो व्यक्ति इस घटना से सम्बद्ध थे, उनके खिलाफ आई०पी०सी० की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। पन्नालाल के विरुद्ध, जिसके यहां बंधुआ मजदूर पाए गए, कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot go against the rule. Don't record it. He will reply to him. Why are you interfering Mr. Panika ?

(Interruptions)**

श्री धर्मवीर : सिर्फ पार्टी के स्तर पर विचार करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि वे लोक दल के हैं या कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। एस०पी०, पलामू के अनुसार दो व्यक्तियों ने अपने आपको कोर्ट में हाजिर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने उनके खिलाफ क्वी वारंट जारी किया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister must reply only to those relevant issues connected with the Calling Attention, he must not make a general speech also. Now I will call the next man. Shri Viridhi Chander Jain.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर आई है कि मिर्जापुर जिले में इन लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मैं जानना चाहता हूँ कि मैडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किन-किन को चोटें आई हैं और क्या-क्या चोटें आई हैं।

जो व्यक्ति इस घटना से सम्बद्ध हैं, उनके खिलाफ किन सेक्शन में केस किए गए हैं? मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि आई०पी०सी० के सेक्शन 341 और 374, मिनिमम वेजिज एक्ट, एम्पलायमेंट आफ चिल्ड्रन एक्ट, चिल्ड्रन एक्ट, फॅक्टरीज एक्ट और इन्टर-स्टेट भाइग्रेंट

वर्कमैन (रेगुलेशन आफ एम्पलायमेंट एंड कन्डी-शन्ज आफ सर्विस) एक्ट के उल्लंघन के मामले नोटिस में आए हैं।

इस सम्बन्ध में जितने भी लाज हैं उनका उल्लंघन किया गया है। तो इनके अन्तर्गत उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्रस्तुत करें ताकि हमें स्पष्ट मालूम हो जाय कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

यह मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि न्यूनतम वेजेज एक्ट का अक्सर उल्लंघन होता है और बच्चों के मामलों में तो उल्लंघन होता ही है। 17-18 घंटे उनसे काम लिया जाता है। 4 वर्ष से कम के बच्चों को काम में लगाया जाय यह भी एक उल्लंघन है और यह भी एक समस्या है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jain, you can continue after lunch. The House stands adjourned to meet at 2 P.M.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

14.05 hrs.

The Lok Sabha then reassembled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, 1975 के उल्लंघन करने के जुर्म में अब तक कितने पूर्व मालिकों को सजा दी गई तथा किस प्रकार की सजा दी गई? जहां तक मुझे मालूम है—जुमनि के अलावा और कोई सजा नहीं दी गई है, तथा वह भी बहुत कम मामलों में दी गई है। जब तक उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठेगा, कानून को सख्त नहीं किया जायगा, तब तक यह कुप्रथा बन्द नहीं

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

हो सकती—इसलिये मैंने इस प्रश्न को पूछा है।

क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय-एजेन्सी के द्वारा बांडेड-लेबर के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है? यदि हां, तो वह पूरी जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। जहां तक मुझे मालूम है—गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने इसके बारे में सर्वेक्षण किया था और उन्होंने 26 लाख बंधुआ मजदूरों की संख्या बतलाई है तथा जो अभी आईडेन्टिफिकेशन किया गया है, उसमें 1 लाख 62 हजार 637 को आइडेन्टिफाई किया गया है। सर्वेक्षण में 26 लाख की संख्या बतलाई गई है, वास्तव में यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रही हैं तथा जो गाइड-लाइन्ज उनको दी गई हैं, वे उनका पालन नहीं कर रही हैं, इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

जिन 114 बालकों को मुक्त कराया गया है—उनमें कितने मामलों में, किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है—इस बात की जानकारी दें। जिन लोगों ने लेबर-लाज, चिल्ड्रन एक्ट और इम्मिग्रेशन एक्ट का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध क्या ठोस कदम उठाये गये हैं? इस सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी देने की कृपा करें।

पन्नालाल के विरुद्ध किन-किन आई०पी०सी० सेक्शनज के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है? जब आफेन्स काग्निजिबिल है, नानबेलेबिल है, तो उसको अरेस्ट किया गया या नहीं? उसके बारे में कब तक चालान प्रस्तुत किया गया तथा इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है?

चिकित्सा के बारे में पहले भी प्रश्न उठा था तथा आपके जवाब में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने उनका परीक्षण किया है। मैं चाहता हूँ कि चिकित्सा-परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें—उनको क्या-क्या चोटें आई थीं, किस प्रकार उनको

जलील किया गया तथा किस प्रकार उनके साथ मारपीट की गई?

शिवकुमार ठाकुर और सुदाभा ठाकुर एजेन्ट्स थे, जिन्होंने इन बच्चों को बेलवारिया पहुंचाने का काम किया—उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

1 लाख 23 हजार 194 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जिन 1 लाख 23 हजार 194 को मुक्त कराया गया था उनकी अब कैसी हालत है? क्या वे फिर से बंधुआ हो गए हैं? क्या वे फिर से कर्जे में लिप्त हो गए हैं? क्या उनकी स्थिति के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है? अगर जांच नहीं कराई है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में वे जानकारी प्राप्त कराएं, जिससे पता लग जाए कि वास्तव में अगर पुनर्वास किया है, उसकी सहायता से अगर उनका नया जीवन हुआ है और वे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं तो यह प्रगति का सूचक है। अगर वे अपने पैरों पर खड़े न होकर फिर बाद में कर्जे में लिप्त हो गए हैं, तो इस पर भी प्रकाश डालें।

पुनर्वास व्यवस्था के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनको गवर्नमेंट सर्विस में प्रायरीटी देनी चाहिए क्योंकि उसमें स्टेबीलिटी होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों का पुनर्वास किया गया है, तो उनमें से कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस दी गई है और किन-किन पदों पर नौकरी दी गई है। अगर क्लास 4 में उनको नौकरी दी गई है, तो उनकी संख्या क्या है?

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राज्यों की जो निगरानी समितियां हैं, वे अपनी बैठकें नहीं बुला रही हैं और जिलों में तो निगरानी समितियों का गठन किया ही नहीं गया है। इस सम्बन्ध में आपके डायरेक्शन्स क्या हैं? निगरानी समितियां जो बहुत से प्रान्तों में कायम की गई हैं, तो वे अपनी बैठकें क्यों नहीं बुला रही हैं और इस समस्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। वॉडेड लेबर की समस्या से निपटने के लिए कोई मोनीटोरिंग सेल है या नहीं?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are speaking about bonded labour. Here the special reference is to the engagement of Scheduled Caste children as bonded labour. You have not touched it. You are talking about general bonded labour. We have already had a discussion on that. Please say something on that.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई मोनीटरिंग हो रही है या नहीं और कोई सेल इस सम्बन्ध में कायम किया गया है या नहीं, यह जानकारी मैं चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैंने जो विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनके बारे में स्पष्ट उत्तर दें और सदन को संतुष्ट करें।

श्री धर्मबोर : माननीय सदस्य ने कुछ बातों की जानकारी चाही है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं उनके अन्तिम प्रश्न से शुरू करता हूँ।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में जो मोनीटरिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, राज्य सरकारें इस कार्य को सम्पादित करती हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनको रिलीज करना और उसके बाद उनको रिहैबिलीटेड करना, यह सब राज्य सरकारों में जिलाधीश के माध्यम से होता है और हर जिले में एक निगरानी समिति है। निगरानी समिति के माध्यम से सर्वे होता है और ऐसे बंधुआ मजदूरों को ढूँढा जाता है या फिर कोई कम्प्लेंट आती है, तो उस पर कार्यवाही होती है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और श्रम सचिवों को बराबर अवगत कराया जाता है और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार की तरफ से, जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको राज्यों का दौरा करने के लिए भेजा जाता है ताकि इसको वेरिफाई करके वे देखें और बॉडेड लेबर सिस्टम में कहां तक प्रगति हुई है और उनको पुनर्वासित किया गया है या नहीं और इस सम्बन्ध में विशेष रूप से डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर को कार्य सौंपा गया है और अभी तक उन्होंने 9 राज्यों का

दौरा 1982-83 में किया था और 7 राज्यों का दौरा 1983-84 में किया है। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर हम राज्य सरकारों को बराबर जोर देते रहते हैं कि वे बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करे और इसकी जांच पड़ताल बराबर करती रहे। अगर कोई बंधुआ मजदूर मिल जाए, तो उसको रिलीज कराए और पुनर्वासित करे। जिनको पुनर्वासित किया गया है, उनके बारे में भी मोनीटरिंग सिस्टम है और उसमें यह देखते हैं कि जिनको पुनर्वासित किया गया है, वे दोबारा तो बॉडेड लेबर नहीं बन गए हैं। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है कि जिनको पुनर्वासित किया गया है, वे पुनः इस प्रकार के कर्ज में लिप्त हो गए हैं।

दूसरा इनका प्रश्न था कि इनको गवर्नमेंट सर्विस में प्रायरीटी मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार के लोग होते हैं, तो जो एम्प्लायमेंट रूल्स बनाए हुए हैं, उनके आधार पर अगर वे नौकरी चाहते हैं, तो अवश्य ही उनको स्थान मिलता है लेकिन अभी तक इनको पुनर्वासित करने के लिए जो काम हमने किया है, उनमें से एक तो यह है कि हम इनको एग्रीकल्चरल लैंड देते हैं। चार हजार रुपये केन्द्रीय सरकार और इतना ही रुपया राज्य सरकार देती है ताकि सेल्फ एम्प्लायमेंट के जरिये से इन आदमियों को विस्थापित कर सकें।

दूसरे आपने इनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही थी। 1978-79 में गांधी पीस फाउण्डेशन ने एक सेम्पुल सर्वे किया था। यह दस राज्यों में किया था। उस सर्वे में 26.17 लाख संख्या बताई गई है। लेकिन वह एक रेण्डम सर्वे था जिसके द्वारा एक हजार गांवों का सर्वे किया गया था। हमारे नेशनल सेम्पुल सर्वे आरगेनाइजेशन के 32वें राऊण्ड के सर्वे में बंधुआ मजदूरों की संख्या 3.45 लाख बताई गई है।

राज्य सरकारों द्वारा इनको बसाया गया और फण्ड प्रोवाइड किये गये, उनके फिगर्स मैंने आपको दे दिये हैं।

[श्री धर्मवीर]

एक्शन टेकन के विषय में कितने केसिज रजिस्टर किये गये और उनमें क्या-क्या कार्यवाही हुई। उनका राज्यवार विस्तृत ब्यौरा मेरे पास है। आप चाहें तो वह मैं आपको दे सकता हूँ।

आंध्रप्रदेश में 1,777 केसिज रजिस्टर किये गये, 54 केसिज में कंविक्शन हुआ, 488 केसिज में एक्विटल हुआ, और जो अमाऊंट आफ फाइन रियेलाइज किया गया वह 62,650 रुपये है। इसमें 61 ऑफेण्डर इन्वाल्ड थे।

बिहार में 1,806 केसिज रजिस्टर हुए, 43 केसिज में कंविक्शन हुआ, 1,005 केसिज में एक्विटल हुआ और फाइन का अमाऊंट जो रियेलाइज हुआ, वह 6,577 रुपये है।

गुजरात में कोई केस नहीं था।

हरियाणा में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें कंविक्शन हुआ।

हिमाचल प्रदेश में 8 केस रजिस्टर किये गये, 3 में एक्विटल हुआ। कर्नाटक में 29 केस रजिस्टर हुए और 9 में एक्विटल हुआ, दो में कंविक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में 1,006 केस रजिस्टर हुए, जिनमें 98 में कंविक्शन हुआ 43,365 रुपये फाइन के रूप में रियेलाइज किये गये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have already replied this thing on a previous occasion. He has not raised it now. You must reply to the reported engagement of Scheduled Caste children as bonded labour. That number you can give.

SHRI DHARMAVIR : But I wanted to satisfy the Hon. Member on the points he made.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, you have already dealt with it.

SHRI DHARMAVIR : I have all the

information. And whatever the Hon. Member would like to seek, I will furnish.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, you need not reply to all the points. You have to reply on action taken.

श्री धर्मवीर : इस प्रकार से मोनिटरिंग करके इन केसिज का पता लगाया गया और कार्यवाही की गई।

आपने पूछा था कि पन्नालाल जो बेलवारिया गांव के कारपेट वीविंग यूनिट के मालिक हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? पन्नालाल के खिलाफ इतनी सख्ती से कार्यवाही हुई है कि वे गांव छोड़कर भाग गये। उनके खिलाफ आई.पी.सी. की सेक्शन 341 और 374 के अन्तर्गत फोर्टेस्ड लेबर और इल्लिगल कंफाईनमेंट के लिए, चिल्ड्रन लेबर एक्ट की सेक्शन 44 के, एम्प्लायमेंट चिल्ड्रन एक्ट की सेक्शन 4, फैक्ट्री एक्ट 1938 की सेक्शन 192, मिनिमम वेजिज एक्ट की सेक्शन 22 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए कार्यवाही की गई। सृदामा ठाकुर और शिवकुमार ठाकुर के खिलाफ आई.पी.सी. की सेक्शन 363 और 364 के तहत केसिज रजिस्टर किये गये।

दूसरे जो कारपेट वीवर्स हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्यवाही की है। जो-जो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मिनिमम वेजिज एक्ट की सेक्शन 22, एम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रन एक्ट की सेक्शन 4 और इन्टरस्टेट वर्कमेन एक्ट की सेक्शन 25 के अण्डर कार्यवाही की गई है। जो भी लेबर लाज के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको नोटिसिज दिये गये हैं।

आपने जो 114 बच्चे रिलीज किये गये, उनकी मैडिकल रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही है। उनको 16-4-84 को पलामू भेजा गया था और उनकी मैडिकल रिपोर्ट में बाहरी तरीके से कोई चोट नजर नहीं आई है। उन्होंने भी अपने वयानात में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है। 5 बच्चे जो 13-4-84 को रिलीज किए गए थे, उनको भी कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई,

लेकिन उन्होंने बताया है कि उनको बैतों और डंडों से मारा गया। 27 बच्चों को भेज दिया गया था, उनकी मैडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि अत्याचार और अन्याय जिन लोगों ने भी किया है मासूम बच्चों के साथ, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। हम इस प्रकार से सजग हैं। जिला अधिकारी उस गांव में गए और जो लोग उस गांव में इस तरह का काम करते थे, वे तो गांव छोड़कर ही भाग गए हैं। जिन बच्चों को यहां पर काम करने से जो रोजी मिलती थी, उनका क्या होगा उसके बारे में तो अलग से विचार किया जाय। लेकिन उस तरह का अन्याय और अत्याचार, अमानुषिक कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Deputy-Speaker, as I read the statement made by the hon. Minister in response to our Call Attention notice, I felt that his statement is like a cool and sedate lawyer who give no evidence that he realised the dimensions of the human tragedy involved in this torture of the Harijan children in Mirzapur.

Sir, I do not want to generalise the problem for the very simple reason that on 12th of March 1982 I had already tabled a general Call Attention Notice on bonded labour arising out of the stone and quarry workers in the vicinity of Haryana and therefore, I do not want to repeat this. But I shall only say...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Recently also we had one.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is right. Your memory is very sharp.

Sir, I was just pointing out to you that his attitude is just like that of a cool and sedate lawyer.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Fool ?

PROF. MADHU DANDAVATE : No, Sir. I wont utter that.

(Interruptions)

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : He believes in it ?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I thought he said 'foolish'.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is the difference between red and pink.

Sir, in the very first paragraph the hon. Minister said something. See what he has to say about bonded labour. He said, 'The bonded labour system has been abolished by law throughout the country with effect from 25th of October 1975 under the Bonded Labour System Abolition Act, 1976. With effect from this date all bonded labourers stood completely freed and discharged from any obligation to render bonded labour and with debts liquidated. So, with the stroke of an Act, he has already declared that the bonded labourers are already freed ! Sir, do not misunderstand this. If some victims of molestation and rape go to the police authorities and tell them that here is the Indian Penal Code and here is the Criminal Procedure Code and according to this all these are crimes and we have already got rid of them, if any one declared that, I tell you, this statement of the hon. Minister is as innocuous as innocent—I won't say 'as stupid'—that is what I would like to say about this particular sentence. So, it is only a legal attitude.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot use that word.

PROF. MADHU DANDAVATE : No, I said 'I won't use it'. Sir, intentionally I won't use it, but if you are allowing, I will say that. But I do not want to use it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is right. It is unparliamentary.

PROF. MADHU DANDAVATE : So, it is very clear that merely what appears in all Statutes and in the Acts, that does not liberate people. Only some laws that can prevent or punish molestation and rape, do

[Prof. Madhu Dandavate]

not actually protect the dignity of women. For that some stern measures are to be taken and let me say that all the details have already come in various newspapers, and I must thank various sections of the press, they have done a lot of investigative journalism, produced photographs and given details for deeper than what the hon. Minister has been able to give.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Gandhi Peace Mission also.

PROF. MADHU DANDAVATE : I am now coming to that. You are allergic to the word 'Gandhi'.

PROF. N.G. RANGA : Gandhi Peace Mission has also done that.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is right. I thought you are criticising that.

'LANGRE GAON KE KAHANI'—There is a report. They went in certain areas. They investigated what happened about the bonded labour. When they take a particular type of foodstuff, how they develop paralysis of their feet. On that Report is there. Gandhi Peace Foundation has also done good work in co-operation with the National Institute and they have produced that report. It is a wonderful report which gives all the details. I had referred to that on 12th March. I do not want to repeat that. Otherwise, you will feel embarrassed.

Here are a number of photographs. If you just look at some of these photographs, here is a pathetic sight of the children who were tortured, hung at the tree and branded with hot iron rods and then photographs were taken. If you look at that, try to imagine for a moment that these are our children and then try to imagine what will be the human pathos in our life when we look at such a situation. Such a situation has developed. I will appeal to the House that if in the case of the Members of this House, if some tears are still left in their eyes, they can shed them in this situation and if they have any sensitivity left, the House can express its sense of anger and if the Minister

has any sense of duty, he should take expeditious steps to end cruelty to children, and not try to point out what only the legal provision of the Act is and what can be and has been done at the police station. That will not satisfy us at all. This problem has vast dimensions and, therefore, that has to be tackled in a far different way. It creates a number of problems. As far as the dimensions of the problems are concerned, they are very wide. From Bihar villages the children were actually kidnapped. They were taken to Mirzapur. They were turned into bonded labour who were given carpet weaving job. You will be shocked to know they were allowed to sleep for two hours only. Some of them were asked to work for 22 hours per day and they were constantly harassed. Some of them resisted this type of oppression and suppression, some of them were hung with their heads down and actually with the hot iron rods they were branded. Photographs have appeared. Photographs of these branded children. When these 27 children were actually kidnapped and when their parents tried to offer money, Rs. 700 per child, Rs. 500 per child, that was the amount that was demanded. And here our Hon. Minister says that according to the definition which has been given in the Bonded Labour Act, only when some loan is taken by some and in lieu of that they remain on work, only that particular person is called as bonded labour. To a victim, if you try to explain what exactly you mean by the bonded labour, you might be suffering but suffer in silence because your case does not fit into the law which we have already framed; that does not give any solace to the bonded labour, whether technically you call him a bonded labour or not. The very fact that parents are told—give Rs. 500 for a child and you can then take back your child, till then he has to work, what description will be given to such a child working in the carpet weaving factory? Technically, Mr. Minister you may not be calling him bonded labour, but hell with the definition, I am not concerned with your technical definition. I am concerned with the human pathos in the situation and that is what the House is concerned about. No matter we belong to the ruling party or the opposition party, we are concerned about the human pathos involved. We are concerned with human pathos and torture

that is actually being perpetrated. Rs. 500/- are offered and they have not been able to take back their children. The matter goes to the police station and then further delays, and further it creates torture. This is what is happening. And then we are academically discussing whether they can be called as bonded labour or not. Actually when Rs. 500/- are demanded for a child, in the mean time they are tortured. Their body is tortured. Sometimes I feel that all the children that are there, they are mortgaging their assets. One asset is their human body and another asset is their future dreams. They are mortgaging their dreams and they are mortgaging their body.

Then they are trying to get themselves liberated. That is what is happening. Are we not going to call them bonded labour? How is this situation going to be solved? That is the problem.

Thousands of children are virtual slaves working in the weaving industries of Mirzapur district in U.P. What is the position? They are functioning with social sanction but without the authority of law. There are certain social pressures, the pressures of the land-lords and the pressures of the anti-social elements. And as a result of that, even this type of things are going on because of the atmosphere of terror in the vicinity. It is because the landlords in the vicinity in particular factories are able to have a sway on the people. Therefore, police are not able to step into the picture. That is why, atrocities are taking place. 30 children from Chhichhori in Palamau district of Bihar were kidnapped and taken to Bilwaria in the Mirzapur district of Eastern U.P. and were forced to work and branded like animals. The story of rescue of 27 children from the clutches of the owner of carpet factory owners of Mirzapur have been revealed by the newspapers. All the details have been given. At the Second Rashtriya Bandhua Mukti convention, the story of torture was revealed and narrated by some of the victims of torture who have actually escaped. Some of the sympathisers have also narrated the story thanks to the Bandhua Mukti organisation. They were able to go from place to place and generate consciousness. Similarly, there are a number of journalists. In the *Statesman* group, there is an activist of the

civil liberty union, Neerja Chowdhury. She has done splendid investigation work. She has gone from place to place. She met the children and their parents and got all the details and they were published in the form of an interview in the *Statesman*. All those details, graphic details with photographs are there. Our words may lie but the photographs cannot. Our words may lie but the innocent children can never lie. That is why, Sir, conversant with the law, you know this. My friend Somnath will be able to tell you that when anyone is allowed to come as a witness in a court of law, the most reliable witness is the innocent child, because the man or adult may lie but the innocent child cannot lie. And, therefore, it is the children who went to Neerja Chowdhury and they went to the convention and they gave the details and the tragedy of torture. All these details have already appeared. I do not want to go into the details.

30 children ranging from 5 to 12 years were kidnapped in 3 batches from their village Chhitori in January and February, 1984 and taken to Mirzapur district to weave carpets for 22 hours a day. I would like to know whether there is a confirmation of this. The children were beaten and branded with hot iron rods and denied adequate food. The children were allowed to sleep, as I said earlier, only for two hours. The children branded with iron rods developed fever. They did not get any medical treatment. This is a natural consequence. Of course, when you are branded with hot iron rods, you cannot become cold; you are bound to have fever. There is no question of medical treatment being offered. So, no medical treatment was offered.

Bhola Bhuniya aged 12 years showed weals in his arm pits. There was a swollen bruise over his right eye due to a lathi blow from Panna Lal, owner of the carpet factory. There was a photograph. This anti-social element Panna Lal has to be dealt with.

Sir, look at the horrible torture. When one morning 7 of the children tried to run away, they were chased by Panna Lal and others. Their feet were tied together and were hung upside down from the branch of the tree and then branded by hot iron rods.

[Prof. Madhu Dandavate]

When they shouted, nobody was allowed to come for the help. The children were whisked away from the village in 3 groups.

Nearly 3 weeks after the disappearance of the children, some of their parents tracked them down in Bilwaria village where the kids were in the custody of Panna Lal who demanded Rs. 500/- per child to release the children. Panna Lal told them that he paid Rs. 7,000/- to Shiv Kumar whom he has used for bringing the children from the village. The villagers had no money to pay for the release of their kids. They returned to Chhichhori and complained to the Deputy Commissioner and the Superintendent of Police on February, 24. It was only three days later that they were summoned to the Rajahara Police outpost near Chhichhori village where a first information report was registered on the basis of their complaint. Subsequently, Sub-Inspector Madhav Singh of Rajahara Police outpost went to Mirzapur and with the help of U.P. police raided Bilwaria village rescuing 27 children and bringing back the kids to their village on April 1, 1984.

I would like to know whether there is a confirmation of all this. Like that, any amount of gruesome details can be given. I do not want further to explain and try to bring before the House the gruesomeness of the tragedy that has been enacted. But all these things are happening. There is some sort of a collusion between anti-social elements like Mr. Pannalal, the landlords staying in that area and the people indulging in this kind of activity of carpet weaving with the help of bonded labour.

The other day, the Labour Minister made a statement that, no doubt, there is the Child Labour Act. But he made it clear publicly that it is not possible to implement the Act at all. The Labour Minister himself has expressed his inability to implement the laws that are on the statute book. In that case, who else is going to help the Government in the implementation of these laws ?

Now, out of this entire episode, a few

questions arise.

1. Why delay of three days in lodging of an FIR by the Patan Police Station ? Will you explain the delay ?
2. Why were the heinous culprits bailed out ? Was there any pressure ?
3. Why did the Police manipulate the age of children as above 18 years ? I tell you some of them are between 5 and 12 years of age. I want a reply to that. This is the information I have got. I have worked in the movement and I have collected the information. This is on the basis of the information collected by the activists of the Bandhua Mukti Morcha. Therefore I would like to have the reply to this.
4. Why the District Administration did not come into action till the Bandhua Mukti Morcha's Seminar was held ?
5. Why Police have failed to search the remaining 3 children till today ?
6. Why was Mr. Pannalal, the carpet factory owner, at Mirzapur not arrested immediately and case under the Bonded Labour Abolition Act, 1976 and Anti-Slavery Act not filed against him at all ?
7. Why is the Labour Department of U.P. and the Central Government apathetic to the plight of child slavery flourishing in Mirzapur and Varanasi Districts of U.P. where thousands of children are languishing ? My veteran colleague Mr. Banarsi Das will be able to give more graphic details about it.
8. Why are the vigilance committees of U.P. and Bihar not at all active in discharging their statutory responsibilities ?
9. Why did the Bihar Government not chargesheet and suspend the Palamau District Deputy Commissioner, Mr. Sahay, for his utter dereliction of duty.
10. Is it a fact that the carpet factory owner, Mr. Pannalal of village Belwaria in Mirzapur District, U.P. used to ask his young daughter aged about 12 to brand

the Harijan slave boys with hot red iron ? Look at the sadistic attitude of the father.

11. The Central Labour Department keeps telling the House that more and more voluntary organisations are being associated in the liberation of bonded labour. Then why did the Central Government or State Government of Bihar deny any financial or administrative assistance to the National Seminar on Bonded Labour held on 7th, 8th and 9th April, 1984 at Paneri Bandh village in Palamau District of Bihar ?

In the end, I may only tell the Government that today the feelings of the tortured children are that "if you are not able to prevent our torture and when during the life time we are actually witnessing the hell of death, it is better that you allow us to die peacefully" because they feel that death will be the final gift to their tortured life. I hope and trust that the tragedy of this dimension will be understood by the hon. Minister of Labour and he will respond in an expeditious manner. I do not want to blame him only because he belongs to the other party. I would appeal to him, with all earnestness, to please take cognizance of the human tragedy. It is far wider than the periphery of your mechanical laws. You please try to understand the human spirit of these children who are being tortured and try to see that justice is done to them. We may pass off. But these children who have to grow as citizens of tomorrow will be guiding the destiny of our nation. Please take care of them, not of us, but of the children who are the citizens of tomorrow.

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दंडवते जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनको आश्चर्य करना चाहता हूं कि इन घटनाओं से कौन मनुष्य है जो प्रभावित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, जब समाचार पत्रों के माध्यम से, उनकी तस्वीरें और उन घटनाओं की चर्चा आई तो मुझे भी बहुत दुःख हुआ, जितना दुःख माननीय सदस्य को है, उतना ही हम सबको भी है। मैं समाचार-पत्रों और उन स्वयंसेवी संगठनों, जो बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, का स्वागत करता हूं और साथ ही उन्हें बधाई भी देता हूं और उनका आभारी हूं कि हमारे

अभियान में वह पूरा सहयोग कर रहे हैं।

आपने द्रवित होकर, भावनाओं के आवेश में कह दिया कि 'गो बियोंड दी लॉ'। आप समझते हैं कि कानून की परिधि के अन्तर्गत ही हम काम करने के सक्षम हैं। अगर हम कानून तोड़कर काम करेंगे तो उसका कहां तक उचित मूल्यांकन होगा, यह आप समझ सकते हैं? लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इन सारी घटनाओं को मैं स्वीकार करता हूं।

मैंने अपने स्टेटमेंट में जो कुछ कहा है, वह जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कहा है। यह न मेरा विचार है और न सरकार का विचार है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 11 तारीख को ज्यों ही समाचार-पत्रों में इसका उल्लेख आया, उसी दिन, उसी घड़ी केन्द्रीय सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने, बिहार और उत्तरप्रदेश के लेबर सेक्रेटरीज को पत्र लिखा कि तुरन्त इसकी जांच-पड़ताल करके हमें अपनी कार्यवाही से अवगत कराओ। इस सम्बन्ध में चीफ़ सेक्रेटरीज को भी तार भेजे गये। जिलाधिकारी एक सक्षम अधिकारी होना है, उसके माध्यम से ही काम किया जाता है। मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने फौरन रेड की और केवल 5 मजदूर ही नहीं, 114 बच्चों को वहां से खोज निकाला और वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि इसके पूर्व ही वहां से 27 बच्चों को बिहार पुलिस ले गई है। बिहार की पुलिस का जो जिक्र किया गया है, वहां बन्धुआ मजदूरों का जो सैमिनार हो रहा था, जो समाचार-पत्रों में कहानी आई है, उसके आधार पर ही जो रिपोर्ट लाज की गई 27 मार्च को; इसके बाद ही 3 दिन बाद वहां बिहार की पुलिस गई। 3 दिन लगना ज्यादा विलम्ब तो नहीं है, लेकिन इसके बाद तुरन्त ही उन्होंने वहां से 27 बच्चों को मुक्त कराया और बिना इसकी सूचना जिलाधिकारी मिर्जापुर को दिये वह उन्हें वहां से ले आये। इस कारण जिलाधिकारी को सूचना नहीं मिली।

[श्री धर्मवीर]

11 तारीख को समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है।

यह जो आपने फोटोग्राफस दिखाये हैं और जिन दुर्व्यवहारों की आपने चर्चा की है, इसके लिये कोई शब्द नहीं है कि किस प्रकार से इसकी निन्दा की जाये। यह अमानुषिक और जघन्य अपराध है, जिसे खूबवार दरिन्दे ही करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात आप करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो सीमित साधन हैं, कानून की परिधि के अन्तर्गत ही हम कार्यवाही कर सकते हैं, अन्यथा न्यायालय इसके लिये सक्षम है कि जमानत पर मुक्त करे या न करे। कानून के अन्तर्गत हम सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ करने के लिये तैयार हैं और कार्यवाही करेंगे।

इसके लिये आदेश और इंस्ट्रक्शन्स राज्य सरकारों को दिये गये हैं। राज्य सरकारों को टेलीग्राम और टेलीफोन के जरिये कहा गया है कि तुरन्त कार्यवाही करें। इसी भरोसे पर गांव में छापा मारा गया। उस पर गांव के और लोग गांव छोड़ कर भाग गए। इसके पता लगता है कि हमने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया और डी० एम० को आदेश दिया। उसने छापा मारा और तलाश करके एक-एक बच्चे को निकाला। परिणाम यह है कि गांव के लोग गांव छोड़ कर चले गए और बताया गया कि वहां का उद्योग ठप्प हो गया।

यह ठीक है कि वहां बच्चे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, समूचे देश में बच्चे काम करते हैं। उन्हें काम करने से रोकने के लिए कानून हमारे पास है। लेकिन हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं है, इसलिए वे अपने मां-बाप की सहायता करने और अपना पेट पालने के लिए काम पर जाते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार होता है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करनी

चाहिए। राज्य सरकारों को आदेश है कि ऐसी घटना की खबर मिलते ही कड़ी कार्यवाही की जाए।

आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और भविष्य का सपना चूर होता है। मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ, किन्तु इस सम्बन्ध में मजबूरी है। परिवार के सब सदस्यों—मां-बाप और बच्चों को काम करना पड़ता है। वहां उन बच्चों में कुछ ने यह भी बताया कि हम लोग यहां पर खुशी से आए हैं और हमारे मां-बाप हमें पहुंचा कर गए हैं। 32 बच्चों का बयान है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन सभी वीविंग सेंट्रज में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। लेकिन जिन्होंने जैसे कि पन्नालाल ने, उनके साथ दुर्व्यवहार दिया है, उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही सम्भव होगी, वह की जाएगी। ठाकुर एबस्कांड कर गए हैं। तेजी के साथ उनकी खोज की जा रही है। उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट को लाज करने में तीन दिन लग गए, मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। 27 मार्च को रिपोर्ट लाज हुई और 1-4-84 को ही पुलिस ने छापा मार कर उन बच्चों को निकाला।

यह पूछा गया है कि उन व्यक्तियों को बेल आउट क्यों किया गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वे बेल आउट हुए हैं। पन्नालाल और शिवकुमार ठाकुर ने एबस्कांड किया था। शिव कुमार ठाकुर और सुदामा ठाकुर ने कोर्ट में सरेन्डर किया है। उनको बेल आउट करना हमारे हाथ में नहीं है। यह न्यायालय का क्षेत्र है। वह किसी को भी मुक्त कर सकता है। हम न उसको रोक सकते हैं और न उस पर दबाव डाल सकते हैं। कानून के अन्तर्गत प्रशासन और पुलिस कार्यवाही करती है और न्यायालय उस पर विचार करके बेल आउट करता है या छोड़ देता है। यह उसका कार्य-क्षेत्र है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि डी० एम० ने

बन्धुआ मुक्ति मोर्चे के सेमिनार को एटेंड क्यों नहीं किया। इस बारे में कोई सरकारी आदेश नहीं है कि वे ऐसी मीटिंग्ज को एटेंड करें। लेकिन उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर वालन्टेरी आर्गनाइजेशन से कोई जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर जिलाधिकारियों को कार्य करने के आदेश हैं। इस सम्बन्ध में निगरानी समितियां बनाई गई हैं और बराबर निर्देश दिए जाते हैं। जिला अधिकारी और राज्य सरकारें इस बारे में कार्य करने में सक्षम हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बिहार के डिप्युटी कमिश्नर को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि वे इस पर गंभीरता से विचार करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, जो ऐसे मामलों की उपेक्षा करते हैं। वे केवल अपराधियों के खिलाफ ही कार्यवाही न करें, बल्कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें, जो कानून और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हैं और अमानुषिक अत्याचारों को बँठे देखते रहते हैं। बिहार गवर्नमेंट को लिखा गया है कि अगर किसी अधिकारी की नेग्लिजेंस है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

जहां तक वालन्टेरी संस्थाओं को सहायता देने का प्रश्न है, बन्धुआ मुक्ति के लिए धन उपलब्ध है, उन लोगों को रिलीज कराने के लिए और उनको रीहैबिलिटेड करने के लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग मांगते हैं कि वे हमें इस बारे में सूचना दें, जिलाधिकारी को यह जानकारी दें। जहां कहीं ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो बन्धुआ हैं सरकार का काम है कि उनको मुक्त कराए और उनकी सहायता करे।

SHRI INDRAJIT GUPTA : Sir, since Shri Pitambar Sinha of our party has already spoken at length on this Calling Attention motion, I do not wish to take up more time of the House by covering that ground again. The other hon. Members have also referred to the newspaper reports which

have appeared in the press.

Sir, I must thank all these enterprising journalists who have brought to light this recent episode which took place in Mirzapur district. But for their enterprise the country would never have come to know of this type of thing. Government will at least not come forward *suo motto* to make any statement in this House as to how they are tackling this problem about the children specifically.

Sir, the statement which has been made here by the Minister contains very interesting things. For example, it says that out of the 114 children who were found with the help of the police in villages Balua, Purjagir and Belwaria, 91 out of them were found to be below 14 years of age. So, it is not just a question of their ill-treatment which is, of course, there the way they are being tortured and branded with hot irons and made to work 22 hours a day and given hardly any food to eat and beaten whenever they make any mistake in their work. All this is recorded in the statements of these children. But they are being employed on such a big scale—91 children out of 114—and in a small area which has come to light because of these journals we do not know what is going on in other areas. Now, the statement says :

“From the statements recorded, instances of violation of Minimum Wages Act, 1948, Employment of Children Act, 1938, Childrens Act, 1960, Factories Act, 1948 and Inter-State Migrant Workmen Act and certain provisions of IPC like Sections 341 and 374 have come to notice. No case could, however, be made of these children being treated as bonded labourers as per the definition given in the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.”

The Minister is very much insistent that we should not talk of going beyond the law. Letter of law must be followed to the last syllable and, therefore, these children about whom you have heard so much here this does not fit in with the definition of Bonded Labour Act and, as such, nothing can be done. Sir, then there must be something

[Shri Indrajit Gupta]

wrong with the Act and God help us from this district magistrate who says :

“From these statements the DM of Mirzapur is of the view that this may be construed to be a case of forced confinement but not a case of bondage as according to him there was no element of loan or debt or advance given by the employer to the children or their parents against which the children were required to render their labour or service.”

Now, what is to be done. I am not a lawyer. The Minister was arguing like a lawyer. Sir, how can an element of loan or debt be found when the children have been kidnapped and abducted from Palamau district and brought to work here with the carpet weavers.

How does the question of loan or debt come in ? It does not arise at all. And therefore they are automatically excluded from the definition of bonded labour. If you really believe that, then, there is something wrong with your legislation ; you have to amend it ; you have to bring amending legislation here. Children are to be kept as slaves, as prisoners, to be branded, to be beaten, to be starved, to be forced to work 22 hours a day, but we will say, no, they are not bonded labour because there is no element of loan or debt involved. What kind of legislation is that ?

AN HON. MEMBER : There are other provisions of the law....

SHRI INDRAJIT GUPTA : That is what the employers say also. I agree with the Minister that this is not a thing which can be cured so easily. It is not a question of one episode being repeated here or there. This has just lifted the corner from the ugly face of the kind of feudal oppression which still exists in our country affecting crores of people. And therefore, in that society, until deeprooted social and economic changes take place, these things will continue. This is after all nothing but a problem which is inextricably linked with the

terrible poverty and unemployment which exists in this country. Who denied it ? It is only because of the pressure of poverty and unemployment that people are forced to submit to these kinds of things, in spite of the rosy talk we hear about the progress we are making and what the Finance Minister and other Ministers keep on telling us. You can point to big factories which are being constructed, and of course, big five-star hotels and all that. But this is the reality of the horror that is going on down below affecting lakhs and crores of people.

I am aware that conditions are so bad that in some places it may not come strictly within the definition of bonded labour. Because here, if you try to prevent the children below 14 years of age from working, I regret to say,—it is tragic,—the first people to protest are their own parents ! This has also happened. In your own State, Sir, Tamil Nadu, where so many thousands of children are employed in making safety matches and fire works in small factories, I believe, the Government of Tamil Nadu a year or two ago, announced that they were going to apply the laws with great strictness because children are forced to work there not only below permissible age but also working for impermissibly long hours and being paid wages which are absolutely starvation wages. But there was a demonstration by the parents of those children saying that our family cannot carry on without the supplementary income which these children bring to us ; and if they are going to be removed from the factories then you must provide them with some alternative work, otherwise how will we survive ? What a tragic commentary on the state of affairs in this country ? These children should be at school. They should be at school being educated instead of going to work like this. There are so many industries in this country which are dependent on these children to work there,—whether it is the Glass Bangle Factories here in Ferozabad in Uttar Pradesh or some of these small tea shops and hotels. Small children of 8 years and 10 years have been made to work there from early morning from dawn till midnight serving customers and then lying down to sleep for 2 or 3 hours in the middle of the tea shop with hardly anything to eat. I

don't know whether bonded labour has to be described technically as only that category alone with which some money or some consideration of loan or debt or something else is attached, otherwise it is all right. What about the compulsions which force these children to be reduced to this condition? I don't expect the Minister or this Government for that matter to solve this question; it cannot do it.

Sir, I found some report—I cannot go into all that now. There was a survey which was carried out at the order of the Supreme Court by Mr. Navin Chandra of the National Labour Institute in New Delhi. He has found how tribal children in Madhya Pradesh, in Raipur area, are being sold into bondage.

15.00 hrs.

(SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*)

I cannot go into this, I mean the horrifying things that I got. Really horrifying things I got and Mr. Navin Chandra also found that because on behalf of these tribal children somebody has moved a petition in the Supreme Court, therefore, now those tribal people in whose name this petition has been made are being harassed and punished and told "how dare you file a petition like this"? Mr. Navin Chandra himself has been asked after he came back from Madhya Pradesh not to go back there again. Full reports are appearing in the press. He has said :

"Given the enormity of the problem and the lack of sensitivity of the administration to the plight of the labourers, not to speak of the pressure of the landed interests on the administrative machinery, the State cannot be relied upon to tackle this problem even marginally."

So, there are so many other examples. I am glad that in Palamau, recently, from the very areas, from which the poor children were kidnapped and taken away to Mirzapur, a big conference was held—*Chopal* as they call it—of this 'Bhandwa Mukti' organisation. Many people have participated in

that. There is a big description of this, giving the names of the organisations and individuals who went there. Of course, they were a mixed crowd. There were film Directors also who went along with shooting crew. Some people went there who are described by the people here as Naxalites and therefore outside the pale of the society. But if the Naxalites are going to fight for the rights of the bonded labour, I am fully prepared to join hands with them. I am not saying it. But people in this state of society, they have got nothing to look forward to and if society is to be changed as the Minister says, it will require a revolution, nothing less than that and the light of the revolution you will not see in the eyes of the people like us here or in the eyes of well-to-do people or even in the eyes of higher paid employees and workers of the public sector. You will see it in the eyes of these people one day. It is in the eyes of these people that the spark of the revolution will shine. It is the job of everybody who talks about things like 20-Point Programme and so on to come on and join hands with these people and help them to get organised. First of all they must be organised. They are now cowed down completely, made to live lives worse than those of animals. They are our countrymen, women and children. If they have to live with any dignity of human beings, they must be taught to be organised. Who is going to teach them? Who is going to teach them how to fight—I don't say fight violently. But they must be in a position to express themselves to ventilate their demands and grievances without a sense of fear that if they say anything they will be tortured and assaulted. But that sense of fear must be removed. That is why I am thankful to these journalists. I hope the people sitting in the Galleries will not misunderstand me. But too often terrible problems affecting these millions of people are given much lower priority in the press than other things which I consider to be absolutely trifling like, for example, what is Mr. Rama Rao Adik's favourite brand of whisky and what types of whisky he likes to drink and that is given a lot of prominence in the press. But here the problems of people who are starving and tortured inhumanly, little children—anybody who has got children in his family, in his home, how can he tolerate such things—are not getting prominence in the press. If you

[Shri Indrajit Gupta]

read these reports, you will really know that it is heart-rending. One does not know what to say, what to think and it is not that what we are doing here and making speeches every day, inconsequential things is enough. I am glad that at this moment more and more of people are beginning to take part in this, to go there down to those villages, to see these people, organise them, encourage them, give them courage, tell them "stand up on your own feet, fight for your demands and the like". Hundreds of laws that you passed in this Parliament are not going to save these people because there is no way to implement those laws. Under the present machinery you cannot implement those laws. In Punjab you cannot implement so many administrative measures which you are saying that you are going to take and what you are doing there. How can you do it ?

Finally, in today's newspaper, there is a very disturbing piece of news. I want the Minister to contradict it or confirm it.

A few months ago, the All India Federation of Brick Kiln Employers, who were running 150,000 brick kilns all over the country or more, employing about 5 million people had declared that if they were not given exemptions from the labour laws, they were going to close down their kilns. It was a threat by the employers and they had actually closed down the brick kilns. They were demanding exemption from the laws which this Parliament has passed specially for the protection of this type of unorganised workers. Just see the irony ; we have passed those laws. These employers came and said that the Bonded Labour System (Abolition) Act, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation and Employment and Conditions of Service) Act, the Factories Act, the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act and the Employees Provident Fund Act must be made inapplicable to the brick kilns. If they were not made inapplicable, they were going to close down the brick kilns.

Shri Veerendra Patil had called a Conference in the Ministry, which we also attended. The labour organisations were

called for consultation and all the organisations without exception including the organisation which is allied with the ruling party said in one voice that no such exemption should be provided. What is the use of passing these laws ? Do not pass such laws. These laws are not meant to protect people who are very highly organised and well paid ; they do not require the help of these laws. These laws have been enacted for the workers who are unorganised, are in small units unable to look after themselves. Anyway, we were told by the Labour Ministry that the Minister had told these employers that their demand cannot be acceded to, they could not be given this kind of blanket exemption, and if they had any genuine grievances, those could be looked into, but they could not be given any exemption and those laws were going to be applied.

Today, the news has appeared in this paper. I do not know whether this is correct or not. The heading is : "A brickbat for five million workers". It reads :

"In an apparent reversal of policy, the Union Government is seriously considering exempting the employers of nearly five million brick-kiln workers all over the country from having to obey labour laws intended for the workers' benefits."

Then it says, that at first the Government had said that this would not be done, but terrific pressure has been put on the Government by the All India Brick and Tiles Manufacturers Federation, and Shri I.C. Gupta, Vice-President of the Federation has said, that they have been assured by the Government that they were going to get exemption, although the Government had not announced that as yet. There is a photograph here of little children working in a brick kiln near Delhi in the middle of the day and hot sun. This report says :

"You have to go only 20 km from Delhi, as this correspondent did, to Teela Morh in Ghaziabad district, where 150 kilns dot the countryside and see for yourself even children work in the afternoon sun moulding and baking bricks. Benefits they do

not get. The jhuggis they get, made of broken bricks and dry grass, are an apology for a shelter.

Those working at the brick kilns are among the most vulnerable of unorganised workers anywhere in the country."

I do not want the Minister to say : "This Calling Attention notice relates to children, but you are raising questions relating to all bonded labour and landless labourers ; you should confine only to childrens' problem." If it is a problem of the entire body of labour, which is covered by these laws, children will be included in that too. If there are large number of statutory benefits, what will happen to them ? Conditions would become adverse. I want to know whether this story has got any substance or not.

The Reporters who publish these stories are supposed to be well informed. But still I hope the Minister will tell us first hand, whether after consulting the Labour Organisations the Ministry has now changed its stand and is going to give exemption to these brick kiln owners from these Labour Laws, which at least on paper give some protection to the workers and they are to be deprived of even this small protection.

PROF. MADHU DANDAVATE : Mr. Minister, one question please. On the floor of this very House, the Hon'ble Minister, Shri Veerendra Patil stated that they will not succumb to the pressures of these kiln owners and they will not relax the rules at all.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I read in some newspaper an allegation. Now I don't know anything about it and I hope the Minister will not misunderstand me. That allegation is against this very Minister sitting here. The allegation is that he himself is the owner or proprietor of some brick kiln. If it is not correct, I would like him, on the floor of the House itself, to contradict it because in this context it becomes a very significant point.

श्री धर्मवीर : माननीय उपाध्यक्ष जी, आदर-

णीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने पता नहीं कहाँ से यह सूचना प्राप्त की है कि मेरे पास कोई भट्टा है। उन्हें जानकारी करा दूँ कि शायद मेरे घर में तो एक ईंट भी न हो, भट्टा तो बहुत बड़ी चीज है। जब इस प्रकार का आक्षेप लगाया जाता है तो उससे प्रशासन को या जिनके हृदयों में गरीब मजदूरों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, उन्हें हतोत्साहित होना पड़ता है।

PROF. MADHU DANDAVATE : There is confusion between bricks and brickbats.

श्री धर्मवीर : मैं समझता हूँ कि बिना वैरीफाई किये हुए, इस प्रकार से किसी के बारे में कुछ भी बात कहना उचित नहीं हो सकता। लेकिन माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

SHRI INDRAJIT GUPTA : I will send you that newspaper report. I accept your contradiction. What is there ?

SHRI DHARMAVIR : Sir, that is false, baseless, concocted and fabricated. I fully associate myself with the feelings of Shri Indrajit Gupta and Prof. Dandavate also, regarding the situation prevailing not only in Mirzapur but all over the country and I have already explained in my statement. Previously also, I have stated many times that we are determined to abolish this system entirely from this country and we will take stern action against those who are the culprits. We have many on-going schemes for the abolition of bonded labour system. One thing more. He wanted the definition of bonded labour to be modified. But I am sorry to say that it is not within the purview of this Calling Attention Motion. I am sorry, but we have to act, as already explained, according to the purview of the Act prescribed.

AN HON. MEMBER : The Act has to be amended.

SHRI DHARMAVIR : There are other provisions. One of my Hon'ble friends commented, during his speech, about the other provisions regarding torture and in-

[Shri Dharmavir]

human treatment of the brick kiln workers. Regarding this brick kiln industry, I have to say that certain representatives from the All India Brick and Tile Manufacturers Federation met me and my senior colleague Shri Veerendra Patilji about their difficulties in complying with these Factory and other various labour Laws. They have been considered in a tripartite meeting on 14th December. They completely stopped the industry and thereafter it has been decided to constitute a Tripartite Committee in every State as well as in the Centre which will consider, among other things, the proposal for having a separate and comprehensive Act for this industry because their difficulties are genuine in some respects. But regarding the assurances given in the news item published in the paper, we have assured the House that we are not going to exempt them. I can assure the House that we are not going to concede to any pressure of the brick kiln owners; nor are we going to grant them any exemption.

It is the U.P. State. Yes; they have done it, because it is under their purview. Since the Government of U.P. is the appropriate Government in respect of brick-kiln industry under the Factory Act, and they have been empowered under section 31 of the Act to issue such an order, the Central Government do not propose to take any further action in the matter.

It is correct that they had given exemption for one year, because there was a lot of hue and cry from all corners, outside Parliament. Inside Parliament, hon. Members were pressurizing me and asking: "Why has this industry not started?" because the workers were virtually starving, and they were not given any job there. Because of the magnitude of the problem, the State Government might have taken the decision to exempt them for one year.

SHRI INDRAJIT GUPTA : The same thing is happening in every State.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, हमारे देश में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर जुल्म और अत्याचार का सिलसिला

सदियों से चला आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस सम्माननीय सदन में, सदन के बाहर अखबारों के द्वारा यह जानकारी मिलती रही है कि कमजोर वर्ग के लोग, शोषित समाज के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किस तरह से कहर ढाए जाते हैं। कहीं पर उनको जिन्दा जलाया जाता है, कहीं पेड़ पर लटकाया जाता है, कहीं सामूहिक हत्याएं होती हैं, कहीं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, कहीं उनको नंगा कर के उनसे हल चलवाया जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। इसी सिलसिले में यह भी समाचार मिला है कि मिर्जापुर जिले में कालींग के कारखानों में अनुसूचित जातियों के बच्चों के साथ किस तरह की ज्यादतियां की गईं। किस तरह से उनको यातनाएं दी गईं और बड़े अफसोस की बात यह है कि उनकी उम्र 5 से लेकर 12 वर्ष के बीच थी। उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया।

सभापति महोदय, मैं तो इस विचारधारा का हूँ कि अगर इन बच्चों को समान अवसर मिलता तो ये बच्चे जिनको भूखा रखा गया, मारा-पीटा गया, लोहे की सलाखें दागी गईं, अगर इनको उचित अवसर मिलता और शिक्षा-दीक्षा मिलती तो इन्हीं नीतिहालों में से कोई-हमारे देश का भावी नेता हो सकता था, कोई अच्छा इंजीनियर बनके देश की सेवा कर सकता था, कोई अच्छा डा० बन सकता था, लेकिन भुखमरी-गरीबी ये ऐसे अभिशाप हैं जिनके कारण मजबूर हो करके माता-पिता को अपने बच्चों को जिनकी अवस्था काम करने की नहीं होती, उनको भेजना पड़ता है काम करने के लिए।

श्री मनो राम बागड़ी (हिसार) : कोई प्रधान मंत्री भी हो सकता था।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : हां, प्रधानमंत्री भी बन सकता था और आपको रास्ता भी सिखा सकता था। आपको यह भी बता सकता था बागड़ी साहब कि इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलती है। इस तरह से बहस नहीं होती है। इस

तरह से फालतू बातें नहीं की जाती हैं और समाजवाद का कोरा ठिठोरा पीटने से समाजवाद नहीं आ जाता है। इसके लिए कुछ सच्चे कामों को करके दिखाया जाता है। समाजवाद सोशलिस्ट समाज का आदमी ही ला सकता है। जुल्म और अत्याचार करने वाले वर्ग का आदमी कभी समाजवाद नहीं ला सकता। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Shailani, it should not be a dialogue between you and others, and *vice versa*. Kindly address the Chair.

श्री चंद्रपाल शैलानी : मेरे विचार में देश के बहुत से भागों में नाबालिग बच्चों के साथ ज्यादाती होती है। अभी हमारे साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में भी इस तरह का व्यवहार होता है। वहां पर आदिवासी लोग बड़े-बड़े जमींदारों के यहां अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं और जिन्दगी-भर उनसे काम कराते हैं। जमींदार लोग कुछ रुपए-पैसे उन्हें उनकी शादियों के लिए दे देते हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तब उनको भी काम पर लगा लिया जाता है। शिवकाशी में माचिस और आतिशवाजी बनाने वाली फैक्टरीयों में भी आग से खेलने का काम छोटे-छोटे नौनिहाल करते हैं और मालिक लोग उनका शोषण करते हैं। कुछ बातें तो लाइट में आ जाती हैं वरना बहुत-सी बातों का तो पता ही नहीं चलता। मैं, मिर्जापुर जिले की बात प्रारम्भ कर रहा था। पलामू जिले के छिछहोरी गांव से तीस बच्चों का अपहरण करके मिर्जापुर जिले में लाया गया। इस गांव का एक व्यक्ति इन बच्चों को क्लिष्टी में बैठाकर ले गया, गंगा नदी पार करवाने के लिए। रस्सी से बांध कर उन्हें लाया गया। किंसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि इन बच्चों को कहां ले जाया जा रहा है जबकि बहुत से मल्लाह भी वहां पर बैठे हुए थे। पटना और मिर्जापुर के स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों ने इन बच्चों को देखा। पुलिस को सूचित भी किया तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन बच्चों के मां-बाप दर-दर की ठोकें खाते रहे। उनको कितनी परेशानी हुई, इसका अन्दाजा आप लगा

सकते हैं। यह सारी ऐसी बातें हैं, जिनको सुनकर के अच्छे-अच्छे कठोर दिल भी पिघल जायेंगे। बहुत से साथियों ने यहां पर बताया कि भूखे-नंगे और गरीबी से परेशान परिवार के लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। लालच दिया गया कि दिन में तीन बार अच्छा भोजन मिलेगा और फिल्म दिखायी जायेगी तथा और भी सुविधाएं मिलेंगी। जिन मां-बाप को दिन में एक टाइम भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, वे इस लालच में आ गए। एक गांव में तीन महीने तक इन बच्चों को भूखा-नंगा और प्यासा रखा गया। उनकी हालत को बद से बदतर बना दिया जिसकी वजह से उनकी अधमरे जैसी स्थिति हो गई। पांच-सात साल के बच्चों से बाइस घण्टे तक कालीन के कारखाने में काम करवाया गया। न तो उनकी रोटी दी गई और न ही सोने दिया गया। उन बच्चों से कोई गलती हो जाती थी तो उनको बुरी तरह से मारा-पीटा जाता था। बंधुआ मुक्ति मोर्चे ने इसका भण्डाफोड़ किया जिसकी वजह से छान-बीन हुई और 27 बच्चों को उनके शिकंजे से निकालकर अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया। तीन-चार बच्चे अभी भी लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन बातों की ओर हमें गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर इस तरह की समस्या कब तक इस देश में चलती रहेगी? श्रीमन्, पूरे देश में पलामू एक ऐसा जिला है, जहां सबसे अधिक मात्रा में बौन्डेड लेबर रहती है, सबसे ज्यादा बन्धुआ मजदूर बसते हैं। वर्ष 1920 में इनकी संख्या जहां 83 हजार हुआ करती थी, अब 1984 में वह बढ़कर लगभग दो लाख हो गई है। सारे देश में कोई दूसरा जिला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां दो लाख के करीब बन्धुआ मजदूर रहते हों। इनकी स्थिति शुरू से ही ऐसी चली आ रही है परन्तु इनकी ओर कोई ध्यान न देने की वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस गांव में यही नहीं, और बहुत से जमींदार या कुछ दूसरे लोग भी हैं, जो यह धन्धा करते हैं और बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेच देते हैं या उनसे मजदूरी कराते हैं। अभी तक उनके विरुद्ध कोई ऐसी ठोस और कारगर

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। श्रीमन्, मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा न करते हुए मंत्री जी को केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, वैसे तो उन्होंने इस समस्या का काफी अध्ययन किया है और स्थिति स्पष्ट की है, मैं जानता हूँ कि हमारी सरकार इस देश से बन्धुआ मजदूरी की प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है, हमारे नेता भी यही चाहते हैं कि इस देश में कोई इस तरह का व्यक्ति न रहे, जिसके पास भागे बढ़ने का मौका न हो और किसी से जबर्दस्ती उसकी मुफलिसी या उसकी मजदूरी का फायदा उठाते हुए काम न लिया जाए, किसी को अमानुषिक यातनाएं न दी जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच कराई है, क्योंकि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आपको उसकी कोई सूचना है। जिस तरह का यह वाक्या हुआ, बच्चों को यातनाएं दी गई, उनको भूखा रखा गया, उनको बुरी तरह से पीटा गया और जबर्दस्ती काम लिया गया, उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले। इस काण्ड से सम्बन्धित कालीन निर्माताओं में से कितनों को गिरफ्तार किया गया और जैसा यहां अभी हमारे एक साथी ने भी बताया, उनमें से कितनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। क्योंकि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि जघन्य अपराध है और मानवता के विरुद्ध है, जिसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कालीन निर्माता को इस अपराध में पकड़े जाने के उपरान्त छोड़ दिया गया तो क्या सरकार ने उच्च न्यायालय में जाकर कोई कार्यवाही की ताकि उनकी बेल को समाप्त करवाया जा सके।

(Interruptions)

श्रीमन्, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन कालीन निर्माताओं ने इस तरह से बच्चों से अमानुषिक कार्य लिए, खरीदा, उनमें से कितनों

के लाइसेंस रद्द किए गए। पलामू जिले में देश के अन्य किसी भाग की अपेक्षा सबसे ज्यादा बन्धुआ मजदूर हैं, इस कुरीति को दूर करने के लिए, कानून का उल्लंघन करने पर कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही अब तक की गई, अब तक उसको किन कारण-वश नहीं रोका गया। वर्ष 1920 में बिहार सरकार ने पलामू जिले को बन्धुआ जिला घोषित किया था, वहां के बन्धुआ मजदूरों की भीषण व शर्मनाक समस्या को देखते हुए क्या वहां कोई कार्यालय खोला गया अथवा किसी पदाधिकारी को नियुक्त किया गया जो इन तमाम चीजों की जांच करता। यदि हां, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए। इसके अलावा जितने बच्चों को वहां अपहृत करके लाया गया, उनमें से अभी तक कितने बच्चे लापता हैं, और सरकार उनको ढूंढने के लिए तथा उनके अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए क्या फौरी कार्यवाही कर रही है। क्या सरकार की जानकारी में है कि श्रम विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की इन कारखाने के मालिकों के साथ मिलीभगत है और वे उन्हें महीनेदारी देते हैं, जिसके कारण सरकारी निर्देशों का पालन नहीं हो पाता और वे उन कारखानों में जांच के लिए नहीं जाते। यदि यह सही है तो सरकार ने श्रम विभाग के कितने अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। इन प्रश्नों का उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार घांषणा करे कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे।

श्री धर्मवीर: सभापति महोदय, माननीय शैलानी ने चार बातों की जानकारी चाही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जिलाधिकारी मिर्जापुर ने जो कार्यवाही की है जिसके आधार पर समाचार-पत्रों में केवल बच्चों का जिक्र था, जिलाधिकारी मिर्जापुर का यह सराहनीय प्रयास था जिसके कारण उन्होंने 114 बच्चे खोज निकाले और उसमें से 5 बच्चों के व्यानात रेकार्ड किए, जांच पड़ताल की और मेडिकल ऐक्जामिनेशन कराया, और जो 27 बच्चे

जा चुके थे उनके बारे में मेडिकल रिपोर्ट बिहार से नहीं आयी है। जिलाधिकारी मिर्जापुर ने, उत्तर प्रदेश सरकार को जैसे ही केन्द्र सरकार से सूचना मिली, समाचार-पत्रों और टेलीग्राम के द्वारा, उस आधार पर उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की.....

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This is a calling attention motion. You cannot keep on asking questions. You just answer to the questions which the hon. Member has put.

SHRI DHARMAVIR : In my statement I have mentioned that there is no case of bonded labour in existence in the Mirzapur District in respect of these children. My Secretary had written to the Chief Secretary of UP when the children were found under these circumstances, to report the legal and penal action taken against the offenders so far and to review it again. According to the information supplied, action taken against Shri Pannalal, employer of carpet weaving unit at Belwaria, Mirzapur District, is under the following sections : section 341 IPC—Illegal confinement, section 374 IPC—compulsory forced labour, section 44—Children Act, 1900, section 4—Employment of Children Act, 1938, section 92—Factory Act, 1948 and section 22—Minimum Wages Act, 1948.

Action against Mr. Sudama Thakur and Sibkumar Thakur has already been taken under sections 363 and 364 of IPC—Kidnaping etc.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप उनको नेशनल सिक्वोरिटी एक्ट के तहत क्यों नहीं पकड़ते ?

श्री धर्मवीर : मैंने निवेदन किया था कि जिला-धिकारी ने जिस कड़ाई से छापा मारा उसके बाद सारे मुलजिम भाग निकले और गांव के और लोग भी भाग गये। सरकार की कार्यवाही में कोई शंका आपको नहीं करनी चाहिये। कम-से-कम जब तक मैं हूँ, मैंने पूरी शक्ति के साथ यह कार्य-वाही की है कि ऐसा कोई भी गुनाहगार बच न

सके जिसने इन बच्चों के साथ ऐसा अमानुषिक अत्याचार एवं ज्यादाती की है।

श्री राम विलास पासवान : आप होम मिनिस्टर से कहिये कि नेशनल सिक्वोरिटी का कानून बनाकर इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति महोदय, आमतौर पर अगर कोई अपराधी अपना घर या मकान, गांव छोड़कर भाग जाता है तो कायदा यह होता है कि उसकी कुड़की कराई जाती है। उनके मां-बाप, परिवार वाले लोगों को कास्टडी में रखा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि मुलजिम कहां हैं। इस तरह की कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है जिन्होंने यह अमानुषिक जुर्म किये है, उनके कितने घरों की कुड़की हुई है और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्मवीर : पन्नालाल, शिवकुमार और सुदामा ठाकुर, ये तीन मेन कल्परिट हैं।

श्री राम विलास पासवान : कौन-कौन अपराधी पकड़े गये हैं ?

श्री धर्मवीर : पकड़े जायें तब न।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आप जैसे नौजवान मंत्री जी स्वयं एक शोषित वर्ग से पैदा हुए हैं, अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ?

श्री धर्मवीर : आपसे मैंने निवेदन किया कि उनके खिलाफ कुड़की की कार्यवाही हो गई है। आप पूरी बात सुनते नहीं हैं।

श्री मनोराम बागड़ी : यह डिस्क्शन भी बन्धुआ है, ओपन नहीं है।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर : पन्नालाल के खिलाफ कुड़की की कार्यवाही हुई है और दोनों ठाकुर कोर्ट में

[श्री धर्मवीर]

हाजिर हो गये हैं। अब कोर्ट उनको जमानत पर छोड़ दे तो न्यायालय इसके लिये सक्षम हैं। चाहे वह जमानत ले ले या सजा दे दे।

I have tried my best to meet all the points raised by the hon. Members and I want to express my gratitude to all the Members who have placed these facts before the Government. I am thankful to the press as well as to the hon. Members who raised different points here and brought these facts before us. I assure the House that at no cost are we going to tolerate this system.

Regarding the brick kiln industry I once again tell that we cannot tolerate the exploitation of the labourers, the workers in any industry in the country.

15.38 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Sixty-First Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir,

with your permission I beg to move :

“That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984.”

MR. CHAIRMAN : The question is :

“That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984.”

The Motion was adopted.

15.40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

- (i) Need to withdraw excise duty on P.V.C. Films, manufactured by Calendering process

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गत 20 वर्षों से पी०वी०सी०

फिल्मों का कैलेंडरिंग प्रक्रिया से निर्माण हो रहा है। सरकार ने 6 मध्यम दर्जे के ऐसे कारखानों को इसका लाइसेंस दिया है, जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मई, 1971 में सभी किस्म की पी०वी०सी० फिल्मों का उत्पादन-शुल्क की परिधि में ला दिया गया था। इसके बाद मार्च, 1973 में छोटे कारखानों में केवल एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा निर्मित पी०वी०सी० फिल्मों की पूर्ण रूप से उत्पादन-शुल्क की अदायगी को छूट दे दी गई थी। स्पष्टतया ऐसा एक्सट्रूजन कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। उक्त छूट के फलस्वरूप गत दस वर्षों के दौरान, एक्सट्रूजन कारखानों का उत्पादन लगभग 12000 मी०टन प्रति-वर्ष रहा है।

कैलेंडर पी०पी०सी० फिल्मों पर उत्पादन-शुल्क की वर्तमान दर 31½ प्रतिशत है। कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों तथा एक्सट्रूडिड पी०वी०सी० फिल्मों के बीच इतने भारी अंतर के कारण कैलेंडर कारखाने अपना उत्पादन नहीं बेच पाए।

कैलेंडर कारखानों की 16,3000 मी० टन प्रति-वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के बजाए गत वर्ष का उत्पादन मुश्किल से ही लगभग 6500 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था, जबकि एक्सट्रूजन कारखानों का उत्पादन 12,000 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था।

कैलेंडरिंग तथा एक्सट्रूजन प्रक्रिया से बनाई गई फिल्मों के उपभोक्ता तथा उसका प्रयोग दोनों ही एक समान हैं। इस लिए उपभोक्ता कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों का अधिक दाम देने के लिए तैयार नहीं होते। अखिल भारतीय कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्म निर्माताओं ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान समय-समय पर वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री महोदय तथा डी०जी०टी०डी० को अनेकों अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्णय में विलंब के कारण पी०वी०सी० बनाने वाले कई कारखाने बन्द हो गए हैं, जिसके फल-